वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर. एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अभिमत से सहमत होते हुए कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु 9.304 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 06/12/2022
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–738/ 2794 दिनांक 06/12/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. क्षेत्र में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत्।**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/ 29577/ 2017

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 3152 दिनांक 13.11.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित भाग–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर. एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2) – वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/ROAD/ 29577/ 2017** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2018 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 3) – दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 4 से 7) – प्रस्तावित कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत 17.379 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 8 से 9) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 10 से 17) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 24) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 9.304 हे. वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 70.08 करोड़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.6 है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 25 से 26) – प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग (भ./स.) कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव बाईपास निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–30 जो कि कोण्डागांव से होकर गुजरती है। इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन निरंतर जारी रहता है, जो कि कोण्डागांव से होकर गुजरता है जिसके चलते शहर में आवागमन बाधित रहता है। अतः यातायात सुरक्षा एवं बाधारहित मार्ग स्वचालन हेतु बाईपास मार्ग निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 27) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – लोक निर्माण विभाग (भ./स.) कोण्डागांव संभाग, कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र प्रस्तावित हो रहा है। अतः पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 32) – दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु 321 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट, बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल/ मानचित्र/ सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 41 तक) – क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण के लिए तहसील कोण्डागांव के ग्राम आदनार में राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1/1 में कुल रकबा 38.019 हे. में से 18.608 हे. भू–खण्ड सिंचित वृक्षारोपण के लिए चयन किया गया है। जिसका परियोजना प्रतिवेदन एवं चयनित भू–खण्ड का अधिसूचना प्रस्ताव तथा कलेक्टर कोण्डागांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 42 से 46) – प्रकरण में प्रभावित 17.379 हे. गैर वन क्षेत्र के आस–पास का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 78 तक) – आवेदित वन भूमि 9.304 हे. वन क्षेत्र के एवज में क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण के लिए तहसील कोण्डागांव के ग्राम आदनार में राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1/1 में कुल रकबा 38.019 हे. में से 18.608 हे. भू–खण्ड सिंचित वृक्षारोपण (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांस प्रजाति विवरण सहित) योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 79 से 80) – आवेदित वन भूमि 9.304 हे. वन क्षेत्र के एवज में क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण के लिए तहसील कोण्डागांव के ग्राम आदनार में राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1/1 में कुल रकबा 38.019 हे. में से 18.608 हे. भू–खण्ड में सिंचित वृक्षारोपण हेतु वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 81) – वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 82) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 83) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 84 से 85) – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 86) – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः कैचमेंट, ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 87) – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 88) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 89) – प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 90 से 101) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल द्वारा दिनांक 30.06.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 03.11.2022 से भाग–3 पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तवित क्षेत्र पर कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 103 से 114) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम पल्लारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुबडोंबरा (कोकोडी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी क्षेत्र के वन भूमि एवं निजी भूमि से होकर गुजरेगा। तत्संबंध में ग्राम पंचायत पल्लारी तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव द्वारा ग्राम सभा बैठक कर सर्व सहमति से बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। तदाशय का सरपंच ग्राम पंचायत पल्लारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – कोण्डागांव जिले का कुल वन भूमि 4084.077 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – कोण्डागांव जिले में कुल स्वीकृत प्रकरण में 691.304 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 117) – कोण्डागांव जिले में इस श्रेणी के एक भी वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 118) – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है एवं न ही किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह अथवा मूर्ति है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 119) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 143) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर जिला कोण्डागांव का दिनांक 12.10.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 144) – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर कोण्डागांव का राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 145 से 146) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 147) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 148 से 149) – आवेदित क्षेत्र में भूमि की दशा प्रायः रेतीली, दूमट एवं कंकरीली भूमि मिट्टी है। भूमि की दशा प्राकृतिक (Geo Ecological) कारणों से है। कृषि विभाग कोण्डागांव द्वारा प्राप्त जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 150) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 151) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 152 से 154) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 155) – प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक नहीं है। तदाशय काआवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 156) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 157–169) – संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–738/ 2795 रायपुर, दिनांक 06/12/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता,** लोक निर्माण विभाग (भ./स.) कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़